Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में विधुत विभाग का कॉमर्शियल असिस्टेण्ड (सी.ए.) एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 1 लाख 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 दिसम्बर,* गुरूवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हंसराज कॉमर्शियल असिस्टेण्ड (सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विधुत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर जिला डूंगरपुर एवं बबलू गुर्जर दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिताजी कारखाने में विधुत कनेक्शन करवाने की एवज में हंसराज कॉमर्शियल असिस्टेण्ड (सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विधुत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर जिला डूंगरपुर द्वारा **1 लाख 30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की डूंगरपुर इकाई के **पुलिस उप अधीक्षक श्री हेरम्ब जोशी** द्वारा सत्यापन किया जाकर आज मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये हंसराज पिता श्री रामलाल निवासी प्रेमनगर पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर हाल कॉमर्शियल असिस्टेण्ड (सी.ए.), कार्यालय सहायक अभियंता, विधुत वितरण निगम लिमिटेड, आसपुर जिला डूंगरपुर एवं बबलू गुर्जर पिता श्री राजाराम निवासी मुकाम पोस्ट पिपलकी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख 10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।